संख्या-18/2016/978 /एक-4-16-02बी-4/16 टी0सी0

प्रेषक,

जय प्रकाश सगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0,लखनऊ।
2- जिलाधिकारी,
बदायूँ ।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 30 अगस्त,2016**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला प्रशासन हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या- 7012/12-12ई/2016, दिनांक 24-06-2016 एवं जिलाधिकारी बदायूँ के पत्र संख्या-1099(1)/नाजिर सदर/2015-16, दिनांक 06-07-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 मे जनपद बदायूँ के जिला प्रशासन की निष्प्रोज्य वाहन संख्या-यू0पी0-24सी/5505जीप, यू0पी-024सी/5500 एवं यू0पी0-24सी/0025 जीप के प्रतिस्थापन स्वरूप 03 टाटा सूमो गोल्ड क्रय किये जाने हेतु प्रति वाहन रूपया-5,44,180/- की दर से अर्थात कुल रूपये-16,32,540/- (रूपये सोलह लाख बत्तीस हजार पॉच सौ चालीस मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि आहरण के समय आहरण एवं वितरण अधिकारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत की निष्प्रयोज्य वाहन की समस्त औपचारिक्ताएं पूर्ण कर नीलामी की कार्यवाही की गयी है एवं नीलामी की प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करा दिया गया है।

(2) उक्त व्यय वित्तीय नियम संग्रह के सुसंगत क्रय नियमों एवं मितव्ययिता सम्बंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अनुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वाहन का क्रय डी0जी0एस0एण्ड0डी0 दरों पर स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा। वाहन के क्रय के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिस निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर नये वाहन का क्रय किया जा रहा है , उसके सापेक्ष पूर्व में वाहन का क्रय न किया गया हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य हुए वाहन के सापेक्ष शासन अथवा अन्य स्रोत से पूर्व में किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

(3) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहन अनुदान संख्या -50 के अर्न्तगत जिला प्रशासन के लिए वाहनों की मद से ही क्रय किया गया हो। धनराशि का उपयोग केवल वाहन के क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही किया जायेगा तथा वाहन का क्रय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्धारित प्रक्रिया एवं सुसंगत क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों का क्रय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे एवं उक्त निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(5) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि शासन द्वारा जिस प्रकार के वाहन के क्रय की अनुमति या स्वीकृति प्रदान की गई है, उसी प्रकार के वाहन को क्रय करके शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053-101-जिलाप्रशासन-093- जिला स्थापनाएं-03-कलेक्टरी स्थापना-14-मोटर गाडियों का क्रय मद के नामे डाला जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि से संबंधित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-ई-5-862/दस-2016, दिनांक 24 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव ।

संख्या-18/2016/978 (1)एक-4-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय),उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय),उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी बदायूँ ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-5
5- वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-2।
6- राजस्व अनुभाग-6
7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in